

## प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनरिपेक्ष

**स्रोत: द हट्टि**

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से **संविधान की प्रस्तावना** में **समाजवादी** और **पंथनरिपेक्ष** शब्दों को शामिल करने को प्राभावी बनाए रखा।

- **अनुच्छेद 368** के तहत संसद **प्रस्तावना** सहित संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है।
- **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार** (अनुच्छेद 25-28) के तहत अपनी पसंद के धर्म का **प्रचार, अभ्यास एवं प्रसार करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता** मिलती है।
- **पंथनरिपेक्षता** को भारत की अद्वितीय विशेषता के रूप में बरकरार रखा गया (जिसमें राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता हो), जिसमें **1994** संदर्भ दिया गया।
  - संविधान के **अनुच्छेद 14, 15 और 16** के तहत **धार्मिक आधार** पर नागरिकों के वरिद्ध **भेदभाव को प्रतिबंधित** किया गया है। इसके साथ ही वधिके समान संरक्षण तथा लोक नयिोजन में समान अवसर की गारंटी प्रदान की गई है।
  - **अनुच्छेद 44** सरकार को **समान नागरिकी संहति** के लयि प्रयास करने की अनुमर्ता देता है और यह प्रस्तावना के पंथनरिपेक्ष शब्द द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
- भारत में **प्रचलति समाजवाद का उद्देश्य** नागरिकों के **आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान** के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
  - इससे **नजिी उद्यमशीलता** एवं व्यवसाय करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसे **अनुच्छेद 19(1)(g)** के तहत मूल अधिकार माना गया है।

और पढ़ें: **संविधान के अभिन अंग के रूप में समाजवादी एवं पंथनरिपेक्षता**